न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 338/2022 निर्णय दिनांक :– 15.10.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

विक्रम सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार तहसील नगरफोर्ट जिला–टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री कुलदीप शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

तहसीलदार नगरफोर्ट

प्रार्थना पत्र बाबत् दुरुस्ती इन्द्राज धारा 136, लेण्ड रेवन्यू एक्ट 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि हाल खाता संख्या 341 खसरा नम्बर 107 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 108 रकबा 4.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.31 है0 वाके ग्राम नगर पटवार हल्का नगर तहसील दूनी हाल तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। राजस्व कर्मचारियो के द्वारा प्रार्थी का नाम विक्रम के स्थान पर मोनू दर्ज कर दिया है जो कि गलत है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो ने लापरवाही व त्रुटिपूर्वक प्रार्थी का नाम विक्रम सिंह के स्थान पर मोनू दर्ज कर दिया है, जो गलत हैं। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज, बैंक पासबुक, पेनकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम विक्रम सिंह ही दर्ज हैं, उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज कर दिये जाने के कारण प्रार्थी कई सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित हो रहा है तथा प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी ने कई बार

15.10.2024

Scanned with OKEN Scanner

अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी को कई प्रार्थना पत्र पेश किये है और राजस्व शिविर में भी शिविर प्रभारी को प्रार्थना पत्र पेश किये है, परन्तु आज तक उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम व प्रार्थी के पिता का नाम दुरूस्त नहीं हो पाया है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नाबालिग मोनू के स्थान पर सही नाम विक्रमसिंह पुत्र भंवर सिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर इन्द्राज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि व प्रार्थी का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। बाकी कानूनी पहलू व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य बरवक्त बहस निवेदन किये जायेगें। अतः प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि हाल खाता संख्या 341 खसरा नम्बर 107 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 108 रकबा 4.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.31 है0 वाके ग्राम नगर पटवार हल्का नगर तहसील दूनी हाल तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान में स्थित हैं, के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नाबालिग मोनू के स्थान पर विक्रम सिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे एवं इसी अनुरूप इनके उत्तरोत्तर उत्तराधिकारी/विधिक वारिसान का नाम दर्ज किया जावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार नगरफोर्ट ने जवाब/रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार हैः– प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें, राजस्व रिकार्ड की नकले संलग्न है। बिन्दू संख्या 2 प्रस्तुत दस्तावेज एवं मौका पर्चा पटवारी हल्का नगरफोर्ट अनुसार स्वीकार है। अन्तिम निर्णय माननीय न्यायालय क्षेत्राधिकार में है। वाद का बिन्दु सं. 3 स्वीकार

15.10.2024

है किन्तु पूर्व में किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र अप्राप्त है। बिन्दु सं. 4 स्वीकार्य की श्रेणी में है। उक्त बिन्दु संख्या 5 स्वीकार्य है। वाद का चरण सं. 6 माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वाद का चरण सं. 7 माननीय न्यायालय से सम्बन्धित होने से कानूनी है। अतः पटवार हल्का नगरफोर्ट की रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न कर रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र भंवरबाई पत्नी स्व0 भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी व मंजू कंवर पुत्र स्व0 भंवरसिंह जाति राजपूत उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी का पेश किया। इन्होने अपने शपथ पत्रो में प्रार्थी का सही नाम विक्रम सिंह अंकित करने की प्रार्थना की।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

तहसीलदार नगरफोर्ट ने जवाब/रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2071—74 में प्रार्थी का नाम मोनू पुत्र देवा भंवरसिंह संरक्षक सरपरस्त संरक्षक माता भंवरबाई हिस्सा 1/15 दर्ज रिकॉर्ड है। जिसको प्रार्थी मोनू के बजाय विक्रम सिंह करवाना चाहता है।

अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी ने आधार कार्ड संख्या 4425 0890 8375, भामाशाह ई कार्ड दिनांक 24.11.19, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 28.07.21 स्थान आंवा, आयकर विभाग पेन कार्ड संख्या बीयूओपीएन 9404 जे, परिवार राशन कार्ड ग्राम आंवा बार कोड संख्या 200004536252, बड़ोदा राजस्थान क्षैत्रीय

15.10.2024

Scanned with OKEN Scanner

ग्रामीण बैक ए/सी नं. 41200100003273, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, माध्यमिक परीक्षा 2009 की अंक तालिका नामांक 0820179, उच्च माध्यमिक परीक्षा –2011 नामांक 1798945 पेश किये, जिनमें प्रार्थी का नाम विक्रम सिंह पुत्र भंवरसिंह का अंकन है। प्रार्थी की माता व बहिन के साक्ष्य शपथ पत्र में प्रार्थी का नाम विक्रम सिंह होना बताया ।

उक्तानुसार सरकारी दस्तावेजो व तहसीलदार की रिपोर्ट का विवेचन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि प्रार्थी का सही नाम विक्रम सिंह पुत्र भंवरसिंह है परन्तु सहवन/त्रुटिवश मोनू पुत्र भंवरसिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो जाने से राजस्व रिकॉर्ड मे लगातार मोनू पुत्र भंवर सिंह ही चला आ रहा है। जिसको कृषक हित में शुद्ध करना उचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अतः वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम नगर तहसील नगरफोर्ट की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 341 ख. नं. 107 रकबा 0.01 है0 व 108 रकबा 4.30 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.31 है0 में दर्ज मोनू पुत्र भंवरसिंह के स्थान पर मोनू उर्फ विक्रमसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार नगरफोर्ट को आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 15.10.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली